# बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

## विज्ञप्ति संख्या–80/2016

## विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु वाक–इन–इन्टरव्यू की सूचना

**भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार शिक्षा सेवा/ केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के Examination Board/ केन्द्र सरकार, अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी उपक्रम से सेवानिवृत अथवा सेवानिवृत होने वाले पदाधिकारियों के लिए तथा गैर सरकारी कंपनियों में अनुभव प्राप्त पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए।**

1. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना निम्नलिखित पदों पर अनुभवी एवं योग्य अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु दिनांक 11.01.2017 को 10:30 बजे दिन से समिति मुख्यालय– सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना–17 में आयोजित वाक–इन–इन्टरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाता है: –

| क्र0 स0 | पदनाम | कुल रिक्ति एवं आरक्षण कोटि | वांछित अनुभव/अर्हता | मानदेय |
|---|---|---|---|---|
| 01 | परीक्षा नियंत्रक | 02 कोटि (अ0पि0व0–01 सामान्य– 01) | भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/ बिहार शिक्षा सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारी अथवा केन्द्र सरकार/किसी भी राज्य सरकार की परीक्षा समिति के सेवानिवृत पदाधिकारी (अधिकतम आयु–65 वर्ष) | ये पद केवल सेवानिवृत पदाधिकारियों के लिए है। सेवानिवृत पदाधिकारियों के लिए मानदेय की गणना उनके अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर होगी। |
| 02 | मुख्य निगरानी पदाधिकारी | 01 कोटि (सामान्य–01) | भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारी (अधिकतम आयु–65 वर्ष) | ये पद केवल सेवानिवृत पदाधिकारियों के लिए है। सेवानिवृत पदाधिकारियों के लिए मानदेय की गणना उनके अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर होगी। |
| 03 | मुख्य लेखा पदाधिकारी | 01 कोटि (सामान्य–01) | महालेखाकार कार्यालय अथवा केन्द्र/राज्य सरकार अथवा उसके किसी उपक्रम/कम्पनी से सेवानिवृत पदाधिकारी/कर्मी का जिन्हें लेखा/वित्त के प्रक्षेत्र में कार्यानुभव हो अथवा किसी प्रतिष्ठित निजी संस्थान/कम्पनी में लेखा/वित्त के प्रक्षेत्र में न्यूनतम 12 वर्षों का कार्यानुभव (अधिकतम आयु–65 वर्ष) | **65,000** सेवानिवृत पदाधिकारियों के लिए मानदेय की गणना उनके अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर होगी। |
| 04 | सहायक सचिव | 02 कोटि (सामान्य–01, अ0पि0व0–01) | राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के किसी संस्थान से सेवानिवृत पदाधिकारी (अधिकतम आयु–65 वर्ष) **अथवा** किसी भी संकाय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री तथा किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान या उपक्रम या सरकार द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट में कार्य करने का न्यूनतम 8 वर्ष का कार्यानुभव एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता। (अधिकतम आयु–50 वर्ष) | **40,000** (सेवानिवृत पदाधिकारियों के लिए मानदेय की गणना उनके अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर होगी।) |
| 05 | प्रशाखा पदाधिकारी | 10 कोटि (सामान्य–05, अ0पि0व0–02, अ0जा0–02, पि0व0–01) | राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अथवा राज्य सरकार /केन्द्र सरकार के किसी संस्थान अथवा/सार्वजनिक उपक्रम/परीक्षा समिति से प्रशाखा पदाधिकारी पद से सेवानिवृत पदाधिकारी। (अधिकतम आयु–65 वर्ष) | ये पद केवल सेवानिवृत पदाधिकारियों के लिए है। सेवानिवृत पदाधिकारियों के लिए मानदेय की गणना उनके अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर होगी। |
| 06 | विधि पदाधिकारी | 02 कोटि (सामान्य–01 अति पिछड़ा वर्ग–01) | किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान/लोक उपक्रम /ख्याति प्राप्त निजी संस्थान में विधिक कार्य के क्षेत्र में 5 वर्षों का कार्यानुभव (अधिकतम आयु–50 वर्ष) | **60,000** |

*सेवानिवृत पदाधिकारियों के लिए मानदेय के रूप में उनका अंतिम प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि घटा कर शेष राशि देय होगी*

2. उपर्युक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन के संबंध में क्रमांक 1 से 5 तक के पदों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (माध्यमिक प्रभाग) सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना–800017 में दिनाक 11.01.2017 के पूर्वाहन 10:30 बजे से वॉक–इन–इन्टरव्यू (Walk-in-interview) होगा।
3. अभ्यर्थी वॉक–इन–इन्टरव्यू (Walk-in-interview) में अपना बायोडाटा/आवेदन पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल एवं स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित हो।
4. अनुबंध की अवधि प्रथम बार 11 (ग्यारह) माह की होगी। तत्पश्चात् सेवा संतोषप्रद होने पर एवं आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जायेगा।
5. जो अधिकारी/कर्मी दिनाक 31 जनवरी 2017 तक अवकाश प्राप्त करने वाले हैं वे भी सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मियों के लिए निर्धारित पदों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं।
6. गैर सेवानिवृत अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त क्र0 सं0 03 एवं 05 के पदों के लिए नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष होगी एवं आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में नियमानुसार निम्नवत् छूट दी जायेगी।
   पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष) –02 वर्ष
   महिला (अनारक्षित/पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)–03 वर्ष
   अनुसूचित जाति/जन जाति (पुरुष एवं महिला)–05 वर्ष
   यह छूट सेवानिवृत अभ्यर्थियों, जिनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है, के लिए लागू नहीं होगी।
7. आवेदन पत्र का प्रारूप, अनुभव, अर्हता एवं अन्य जानकारियाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विभागीय वेबसाइट **www.biharboard.ac.in** से प्राप्त की जा सकती है।

**सचिव**
**बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना**